राजू उर्फ राजकुमार

बनाम

राजस्थान राज्य

3 मई, 2007

[एस. एच. कपाडिया और बी. सुदर्शन रेड्डी, जे.जे.]

धारा 148 दंड संहिता, 1860: के तहत दोषसिद्धि

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और चश्मदीद गवाह की साक्ष्य कि अपीलार्थी के पास चाकू था और मृतक की छाती पर चाकू से वार किया गया था। बरामद चाकू और कपड़ों पर मानव रक्त के दाग थे। अतः धारा 148 के तहत दोषसिद्धी के आदेश में कोई दुर्बलता नहीं।

आपराधिक न्याय का प्रशासनः धारा 148 आई. पी. सी के तहत दोषसिद्धि- राज्य ने विचारणीय न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी को उसके धारा 148 के तहत दोषसिद्धी के अतिरिक्त धारा 302 के तहत दोषसिद्धी के लिए अपील नहीं की। अतः अपीलार्थी को उसके द्वारा प्रस्तुत अपील में धारा 302 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि पीडब्लू-4 अपने मृत पिता के साथ अपने चाचा के घर रात के खाने के लिए गया था। जब मृतक बिस्तर

पर बैठा हुआ पीडब्लू-4 के चाचा और चाची के साथ बातचीत कर रहा था, 10 से 12 लोग कमरे में घुस आए और मृतक को घेर लिया। वे चाकू, तलवार और कुंदाला हथियार से लैस थे। पी डब्ल्यू.4 को धमकी दी गई और चिल्लाने से मना किया गया। पीडब्लू.4 ने अपनी एफआईआर में कहा कि उसकी उपस्थिति में अभियुक्त (अपीलार्थी) ने उसके पिता को चाकू मार दिया। अपीलार्थी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर अपराध के हथियार और खून से लथपथ कपड़े बरामद किए गए। अपीलार्थी पर अंतर्गत धारा 148,302,120 बी और 460 भादंसं के आरोप लगाए गए। हलाकि उसे अंतर्गत धारा 148 आईपीसी में दोषी ठहराया गया था।

इस न्यायालय में अपील में विचार के लिए दो मुद्दे सामने आए हैं। पहला मामले के गुणावगुण से संबंधित है और दूसरा अपीलार्थी की और से उठाए गए तर्क से संबंधित है कि उसे धारा 148 आई. पी. सी के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था व उसने 8.3.2007 तीन साल की सजा पूरी कर ली है, जो राज्य द्वारा इस आधार पर विवादित किया गया है कि अपीलार्थी को धारा 302 आई. पी. सी के तहत दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि की पुष्टि की हैं।

न्यायालय ने अपील को अनुमति देते हुए प्रतिपादित किया-

1. यहां मृतक के पुत्र पी डब्ल्यू 4 पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं हैं। पीडब्लू. 4 ने पदच्युत किया है कि रात के खाने का समय था तथा मृतक बिस्तर पर बैठा था तथा वह चाची के साथ बातचीत कर रहा था। नीचे की दोनों अदालत पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंची कि मृतक की छाती पर चोट थी और बरामद चाकू और कपड़े पर मानव खून था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण बेहोशी बताया गया हैं। हालाँकि नीचे की दोनों अदालत पीडब्ल्यू 4 के साक्ष्य के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि अपीलार्थी विधिविरूद्घ जमाव का सदस्य था, उसके पास चाकू था। वह उस कमरे में दाखिल हुआ था जहां मृतक बिस्तर पर बैठा था और अपीलार्थी द्वारा मृतक की चाकू मारकर हत्या कर दी। इन परिस्थितियों में, यहां अपीलार्थी को धारा 148 आईपीसी के तरह दोषसिद्घी तक कोई दुर्बलता नहीं है।

[पैरा 6] [1159-एफ-एच; 1160-ए-बी

2. राज्य ने विचारणीय न्यायालय द्वारा धारा 148 आई पी सी में दोषी ठहराने के आदेश के अतिरिक्त धारा 302 आईपीसी मे भी दोषी ठहराने के आदेश के ख़िलाफ़ अपील नहीं की थी। यहाँ तक कि उच्च न्यायालय ने भी आपेक्षित निर्णय में अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को

केवल उसकी दोषसिद्धि की पुष्टी करते हुए खारिज किया गया है। [पैरा 10] [1162-ए-बी]

3. धारा 148 आईपीसी का अपराध धारा 302 आईपीसी के अपराध से स्पष्टतः भिन्न व पृथक है। राज्य को धारा 148 आईपीसी के अलावा धारा 302 आईपीसी के तहत अपीलार्थी को दोषी ठहराने के लिए अपील दायर करनी चाहिए थी। राज्य द्वारा इस केस मे ऐसा नहीं किया गया है। धारा 148 आईपीसी के तहत घातक आयुध से सज्जित होकर बल्वा करने का अपराध धारा 302 आईपीसी के अपराध से स्पष्टतः भिन्न व पृथक हैं। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मे अपीलार्थी को धारा 302 आईपीसी मे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। राज्य ने धारा 148 के तहत दोषसिद्घि के विरूद्घ उच्च न्यायालय में अपील दायर नहीं की, ना ही राज्य ने उच्च न्यायालय में दण्ड वर्धित करने की मांग को लेकर अपील की।

[पैरा 10 और 13] [1162-डी-ई; 1165-ए-बी]

सतबीर बनाम सूरत सिंह और अन्य, एआईआर [1997] एससी 1160 और नंद किशोर मोहंती बनाम उड़ीसा राज्य, एआईआर [1961] उड़ीसा 29 आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार- आपराधिक अपील नंबर 664/2007

राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ ने डी.बी. आपराधिक अपील संख्या 660/2005 में दिनांक 13.01.2006 के अंतिम निर्णय और आदेश से। जसपाल सिंह, आर.के. भारद्वाज (मैसर्स टेम्पल लॉ फर्म), आर.के. कपूर, एम.के. वर्मा और अनीस अहमद खान- अपीलार्थी की और से।

वी. मधुकर, सुमित घोष, संजय झा, कुमार कार्तिकेय और अरुणेश्वर गुप्ता प्रत्यर्थी की और से।

न्यायालय का निर्णय कपाडिया, जे. द्वारा सुनाया गया।

(1) अनुमति प्रदान की गई।

(2) इस आपराधिक अपील में विशेष अनुमति राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर खंडपीठ द्वारा डीबी फौजदारी अपील संख्या 660/04 जिसमें अतिरिक्त जिला व सेशन न्यायाधीश जयपुर द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 49/2001 में धारा 148 के तहत अधिरोपित दोषसिद्धी की पुष्टि करते हुए पारित अपेक्षित निर्णय दिनांक 13.1.06 के विरूद्घ प्रदान की है।

(3) दिनांक 1.9.1989 को 9.20 पीएम पर उत्तम प्रकाश (पीडब्ल्यू.4) ने एक एफआईआर पुलिस स्टेशन अशोक नगर, जयपुर में दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने दावा किया कि वह और उनके पिता राम किशन

खंडेलवाल (अब मृतक) ने अपना घर जो ए-10 ,सीकर हाउस एरिया में स्थित है, अपने चाचा के घर सी-10, मदन कुंज , पृथ्वी राज रोड, जयपुर में जाने के लिए छोडा। जब 9 पीएम पर मृतक बिस्तर पर बैठकर पीडब्लू.4 की चाची और चाचा के साथ बात कर रहा था, 10 से 12 लोग कमरे में घुस आए और मृतक को घेर लिया। वे 10 से 12 लोग चाकू, तलवार और कुंदाला लेकर आये थे। पी डब्ल्यू.4 को धमकी दी और चिल्लाने के लिए मना किया। पीडब्लू.4 ने अपनी एफआईआर में कहा कि उसकी उपस्थिति में अभियुक्त (यहां अपीलार्थी) ने उसके पिता राम किशन खंडेलवाल को चाकू मार दिया। एफआईआर के अनुसार, जब पीडब्लू.4 के चाचा ने शोर मचाया तो वहां अपीलार्थी अन्य लोगों के साथ भाग गया। राम किशन खंडेलवाल की मृत्य हो गयी। एफआईआर के अनुसार, एक तरफ राम किशन खंडेलवाल और दूसरी तरफ हनुमान, हनीफ, छितर और रमेश शंकर के बीच दुश्मनी थी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अनुसंधान शुरू हुआ। मामला धारा 147, 149 और 302 भारतीय दण्ड संहिता (संक्षेप में आईपीसी) के अपराध के तहत दर्ज किया गया। यहां अपीलार्थी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर, अपराध के हथियार और खून से लथपथ कपड़े बरामद किए गए। पीडब्लू. 25, एक न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा यहां अपीलार्थी और अन्य की पहचान परेड आयोजित की गयी। इसके बाद

पुलिस ने अन्य बातों के साथ-साथ यहां अपीलार्थी के विरूद्घ अपना आरोप-पत्र प्रस्तुत किया। 31 गवाह परीक्षित हुए। अभियोजन पक्ष की ओर से 74 दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। विचारण के दौरान यह पता चला कि राम किशन खंडेलवाल और उनका परिवार जयपुर के सीकर हाउस एरिया में रहते थे। हनुमान और छीतर उनके पड़ोसी थे। उनके मध्य शत्रुता थी। संपत्ति विवाद था। हनुमान और छीतर का बाथरूम जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। हनुमान और छीतर को लग रहा था कि बाथरूम को राम किशन खंडेलवाल की शिकायत पर तोड़ा गया है। हनुमान और छीतर ने अपना घर हनीफ (सह-अभियुक्तों में से एक) को बेच दिया। अपनी मृत्यु से पहले राम किशन खंडेलवाल ने पुलिस स्टेशन शास्त्री नगर, जयपुर में एक एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें उसने पुलिस सुरक्षा की मांग की थी। राम किशन खंडेलवाल भी कई आपराधिक मामलों में अभियुक्त था। ये मामले लंबित थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार, हनुमान, छीतर और हनीफ ने राम किशन खंडेलवाल की हत्या के लिए आपराधिक षडयंत्र रचा। हालांकि अभियोजन पक्ष के अनुसार यहां अपीलार्थी ने अजीज, इकबाल, महेंद्र सिंह, हामिद और फिरोज के साथ मिलकर वास्तविक हत्या कारित की। इसलिए, अभियोजन पक्ष के अनुसार यहां व्यक्तियों के दो समूह थे, व्यक्तियों के पहले समूह ने एक आपराधिक

षडयंत्र रचा, लेकिन वास्तविक हत्या इकबाल, अजीज, राजू नाइक (यहां अपीलार्थी), महेंद्र सिंह, हामिद और फिरोज ने की थी।

(4) मामले में, हम राजू नाइक (यहां अपीलार्थी) की दोषसिद्धि से चिंतित हैं। उस पर धारा 302, 120 बी, 148, 149 और 460 आईपीसी के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था।

(5) इस आपराधिक अपील में निर्धारण के लिए दो मुद्दे उठते हैं। पहला मामले के गुणावगुण से संबंधित है और दूसरा अपीलार्थी की ओर से दिए गए तर्क से संबंधित है कि अपीलार्थी ने 8.3.2007 को तीन साल की सजा पूरी कर ली है क्योंकि उसे आईपीसी की धारा 148 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था, जिस पर राज्य द्वारा विवाद इस आधार पर उठाया गया कि अपीलार्थी को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

(6) मामले के गुणावगुण पर हम पाते हैं कि राम किशन खंडेलवाल (मृतक) के पुत्र उत्तम प्रकाश (पी डब्ल्यू.4) पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। घटना दिनांक 1.9.89 को करीब 9 पीएम पर घटित हुयी जब मृतक बिस्तर पर बैठा था। उत्तम प्रकाश (पी डब्ल्यू.4) और उसके पिता, राम किशन खंडेलवाल उसके चाचा के घर सी-10, मदन कुंज, पृथ्वी राज रोड, जयपुर रात के खाने के लिए गए थे। जब मृतक बिस्तर पर बैठा

था तो उत्तम प्रकाश (पी डब्ल्यू 4) ने 10 से 12 लोगों को कमरे में प्रवेश करते और राम किशन खंडेलवाल को आत्मसमर्पण करते हुए देखा। वे चाकू, तलवार और कुंदाला से लैस थे। उत्तम प्रकाश (पी डब्ल्यू.4) ने मृतक को चाकू मारते हुए देखा। उत्तम प्रकाश (पी डब्ल्यू.4) ने बयान दिया कि यह रात के खाने का समय था, मृतक बिस्तर पर बैठा था जबकि वह अपनी चाची के साथ बातचीत कर रहा था। नीचे की दोनों अदालतें पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंची हैं कि मृतक की छाती पर चोट थी और प्रदर्श पी.32 द्वारा बरामद चाकू और कपड़ों पर मानव रक्त था। मौत का कारण जैसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिया गया है बेहोशी (सिंकोप) था। एक और गवाह रतन देवी (पी डब्ल्यू.20) थी लेकिन वह पहचान परेड में अपीलार्थी की पहचान नहीं कर सकी। हालाँकि, नीचे की दोनों अदालतें पीडब्ल्यू 4 के साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंची हैं कि यहां अपीलार्थी (राजू उर्फ राजू कुमार) विधि विरूद्घ जमाव का एक सदस्य था, वह चाकू लेकर गया; वह उस कमरे में दाखिल हुआ था जहां मृतक बिस्तर पर बैठा था और राम किशन खंडेलवाल (मृतक) की यहां अपीलार्थी द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दी गयी। इन परिस्थितियों में हम अपीलार्थी की धारा 148 आईपीसी के तहत दोषसिद्घी तक दुर्बलता नहीं पाते हैं।

(7) सवाल यह है कि क्या यह न्यायालय विशेष अनुमति याचिका में अपीलार्थी को राज्य की ओर से बिना किसी अपील के आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहरा सकती है।

(8) अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं, तो हम पाते हैं कि इस मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, संख्या 1, (फास्ट ट्रैक) जयपुर शहर, जयपुर द्वारा दस में से सात अभियुक्तों को अलग-अलग अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। यहां अपीलार्थी पर आईपीसी की धारा 148, 302, 120 बी और 460 के तहत आरोप लगाये। हालाँकि वह आईपीसी की धारा 148 के तहत दोषी ठहराया गया है। विचारणीय न्यायालय के अनुसार मौत का कारण (सिंकोप) बेहोशी है। बटरवर्थ की मेडिकल डिक्शनरी के अनुसार, 'सिंकोप' रक्तचाप में गिरावट के कारण चेतना का अस्थायी खोना है।

(9) हम यहां उक्त निर्णय के पैरा '65' और '66' को भी नीचे उद्धृत कर रहे हैं जो इस प्रकार हैं:

> "65. उपरोक्त निर्णय से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि सभी आरोपियों में से अभियुक्त नंबर (1) अब्दुल अजीज पुत्र सलामुद्दीन, अभियुक्त नंबर 2 राजू उर्फ राज कुमार पुत्र माली राम, अभियुक्त नंबर. 3, दुर्गा दास उर्फ भाया पुत्र भंवर लाल ने भारतीय दंड संहिता की धारा 460, 148 और 302 के तहत

दंडनीय अपराध किया है जिसके लिए उनका अपराध एतद्द्वारा साबित होता है और अभियुक्त नंबर 4, फिरोज उर्फ श्रेया पुत्र बाबू खान ने भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 302/149, 460 के तहत दंडनीय अपराध किया है जिसके लिए उसका अपराध एतदद्वारा साबित होता है और अभियुक्त नंबर 5 हनुमान सहाय पुत्र महादेव प्रसाद, अभियुक्त नंबर 6 छीतर मल पुत्र महादेव प्रसाद, अभियुक्त नंबर 7 मोहम्मद हनीफ पुत्र अब्दुल हकीम ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302/120 बी के तहत दंडनीय अपराध किया है जिसके लिए उनका अपराध एतदद्वारा साबित होता है और अभियुक्त नंबर 8 सईद पुत्र अब्दुल रशीद को धारा 302 सपठित धारा 149, 148, 120 बी और धारा 460 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध के आरोपो से बरी कर दिया गया है।

66. यह मामला हत्या, हत्या की साजिश और हत्या में सहयोग का मामला है जिसके लिए अभियुक्त को न्यूनतम सजा से दंडित करना न्यायोचित होगा। शेष अपराध के लिए अभियुक्तों की सुनवाई की गई, जिसके लिए उन्हें नीचे बताए अनुसार कठोर कारावास से दंडित किया गया:

सजा इसलिए, नीचे उल्लिखित आरोपियों को भारतीय दंड संहिता के तहत प्रत्येक के सामने उल्लिखित धारा के तहत दोषी पाए जाने पर निम्नानुसार दंडित किया जाता है:

क्रम	अभियुक्त के नाम	धारा	सजा	जुर्माना	अदम अदायगी जुर्माने में सजा
1	अब्दुल अजीज	460	10 साल	500/-	3 महिने
2	राजू उर्फ राज कुमार	148	तीन साल	200/-	1 महिने
3	दुर्गा दास उर्फ भाया	302	आजीवन कारवास	1000/-	6 महिने
4	फिराज उर्फ श्रेया	460	दस साल	500/-	3 महिने
		148	तीन साल	200/-	1 महिने
		302 / 149	आजीवन कारावास	1000/-	6 महिने
5	हनुमान सहाय	302 / 120 बी	आजीवन कारवास	1000/-	6 महिने
6	छितरमल	302/12	आजीवन	1000/-	6 महिने

		0 बी	कारवास		
7	मोहम्मद हनीफ	302/120 बी	आजीवन कारवास	1000/-	6 महिने

इस मामले में अभियुक्त जमानत पर है, इसलिए सजा दिलाने के लिए उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लिया जा रहा है. उपरोक्तानुसार अभियुक्त का सजा वारंट तैयार कर केन्द्रीय कारागार, जयपुर भेजा जावे। सभी अपराध की सजा एक साथ चलेगी। इस मामले में, अपील अवधि के छह महीने की समाप्ति के बाद सबूत की जब्त की गई वस्तु को नष्ट कर दिया जाएगा। निर्णय की रिकॉर्डिंग के बाद पत्रावली को कार्यालय में स्वीकार किया जा सकता है। दोषसिद्ध अपराध वाले अभियुक्त को निर्णय की प्रति बिना किसी शुल्क के प्रदान की जा सकती है।"

(10) यदि पैरा '65' को पैरा '66' के साथ पढ़ते है, तो हम पाते हैं कि अब्दुल अजीज अभियुक्त नंबर 1 है और वह आईपीसी की धारा 460 के तहत दोषी ठहराया गया है। यह पैरा '65' से स्पष्ट है। यह पैरा '66' में दिए गए चार्ट के अनुरूप है। इसी तरह, अपीलार्थी (राजू उर्फ राज कुमार) अभियुक्त नंबर 2 था और वह आईपीसी की धारा 148 के तहत दोषी

ठहराया गया है। यह पैरा '65' से स्पष्ट है। इस सीमा तक, पैरा '65' पैरा '66' (उसके साथ संलग्न चार्ट) के अनुरूप है। दुर्गा दास अभियुक्त नंबर 3 था और वह दोनो पैरा '65 और 66' में आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया है। पैरा '65' को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि क्रमशः अभियुक्त नंबर 1 को आईपीसी की धारा 460 के तहत दोषी ठहराया गया था, अभियुक्त नंबर 2 को धारा 148 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया था और अभियुक्त नंबर 3 को धारा 302 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया था। "क्रमशः" शब्द लोपित है। राज्य विचारणीय न्यायलाय के राजु उर्फ राजकुमार (यहां अपीलार्थी) को दोषी ठहराने के आदेश के विरूद्घ विचारणीय न्यायालय के द्वारा धारा 148 के तहत दोषसिद्घी के अतिरिक्त धारा 302 के तहत दोषी ठहराए जाने के लिए कोई अपील में नहीं गया। यहां तक कि उच्च न्यायालय ने, आक्षेपित निर्णय द्वारा, आईपीसी की धारा 148 के तहत राजू उर्फ राज कुमार की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है। राज्य की ओर से हमारे समक्ष यह तर्क दिया गया है कि हमें अपीलार्थी को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया जाना चाहिए, खासकर, जब समवर्ती निष्कर्षों में दिए गए कारणों से संकेत मिलता है कि यहां अपीलार्थी ने मृतक की छाती में चाकू से वार किया था। हमारे विचार में,

ऐसा अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता। आईपीसी की धारा 148 के तहत अपराध आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध से स्पष्टतः भिन्न और अलग है। राज्य को अपीलार्थी को आईपीसी की धारा 148 के तहत दोषी ठहराए जाने के अलावा धारा 302 आईपीसी के तहत दोषी ठहराने की मांग करते हुए अपील दायर करनी चाहिए थी। यह मौजूदा मामले में नहीं किया गया है। आईपीसी की धारा 148 के तहत घातक हथियार से सज्जित (लैस) होकर बल्वा करने का अपराध आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध से स्पष्टतः भिन्न और अलग है। इसके अलावा, विचारणीय न्यायालय के अनुसार, मौत का कारण बेहोशी (सिंकोप) है।

(11) सतबीर बनाम सूरत सिंह और अन्य, एआईआर (1997) एससी 1160 के मामले में, अभियुक्त को आईपीसी की धारा 302/148 के तहत सजा सुनाई गई थी और इसलिए, इस न्यायालय ने यह विचार लिया कि धारा 148 के तहत अलग से सजा दी जानी आवश्यक नहीं थी।

(12) नंद किशोर मोहंती बनाम उड़ीसा राज्य, एआईआर (1961) उड़ीसा 29 के मामले में, यह माना गया है कि एक बार आईपीसी की धारा 148 के तहत आरोप लगाए जाने के बाद मजिस्ट्रेट को यह बताना आवश्यक होगा, कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है उसे दोषी ठहराया गया है या बरी कर दिया गया है। उस मामले में, यद्यपि

याचिकाकर्ता पर आईपीसी की धारा 148 के तहत आरोप लगाया गया था, लेकिन मजिस्ट्रेट का निर्णय इस बारे में मौन था कि याचिकाकर्ता दोषी था या नहीं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने मान लिया कि याचिकाकर्ता को आईपीसी की धारा 148 के तहत दोषी ठहराया गया है, जिसने दोषसिद्धि को आईपीसी की धारा 147 में बदल दिया। उस मामले में, याचिकाकर्ता पर आईपीसी की धारा 455/149 और आईपीसी की धारा 323/149 के तहत भी आरोप लगाए गए थे। उस संबंध में निम्नानुसार यह माना गया था :-

> "(6) मजिस्ट्रेट द्वारा एक और गंभीर गलती अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख करने में चूक करने की थी कि क्या उसने याचिकाकर्ता को धारा 148, आई.पी.सी. के तहत दोषी ठहराया था या नहीं। एक बार उस धारा के तहत विशिष्ट आरोप लगाए जाने के बाद, मजिस्ट्रेट को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि क्या वह अभियुक्त को उस अपराध के लिए दोषी ठहराता है या क्या वह उसे अपराध से बरी कर देता है। यद्यपि याचिकाकर्ता पर धारा 148 के तहत आरोप लगाया गया था, लेकिन मजिस्ट्रेट का निर्णय इस बारे में मौन है कि वह आरोप साबित हुआ या नहीं। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने भी विचारण

करने वाले मजिस्ट्रेट की ओर से की गयी गलती को नजरअंदाज करते हुए और यह मान लेना कि मजिस्ट्रेट द्वारा उस धारा के तहत एक दोषी ठहराया गया था और वह उसे धारा 147, आई. पी.सी. के तहत दोषसिद्धि में बदलना उचित होगा, एक गलती की है। यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार के मामलों में जहां कारावास की सजा सुनाई गई है, दो निचली अदालतों को संभवतः लापरवाही के कारण ऐसी स्पष्ट गलती की।

(7) इसलिए अन्ततः परिणाम यह है कि यद्यपि याचिकाकर्ता पर आईपीसी की धारा 148 के तहत आरोप लगाया गया था, लेकिन विचारण वाले मजिस्ट्रेट ने उस आरोप के संबंध में दोषसिद्धि या बरी करने का कोई आदेश पारित नहीं किया है और सत्र न्यायाधीश ने उसे आईपीसी की धारा 147 के तहत दोषी ठहराया है। विचारण करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा आई.पी.सी. की धारा 148 के तहत याचिकाकर्ता को दोषी ठहराने की चूक को इन परिस्थितियों में यह माना जाना चाहिए कि उसे उस आरोप से बरी कर दिया गया था। यह बात मायने नहीं रखती कि यह चूक लापरवाही के कारण हुई या किसी अन्य कारण से। इस प्रकार, एक बार जब याचिकाकर्ता को आईपीसी की धारा 148 के

तहत आरोप से बरी कर दिया जाता है, तो सत्र न्यायाधीश के पास दोषसिद्घि को धारा 147, आईपीसी के तहत बदलने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। राज्य को धारा 148 के तहत आरोप में संबंध में बरी के आदेश को अपास्त करने के लिए उच्च न्यायालय में जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।

(8) धारा 148, आई.पी.सी. के तहत अपराध के संबंध में याचिकाकर्ता को बरी करने से, धारा 455/149, आई.पी.सी., और 323/149, आई.पी.सी. के तहत उसकी सजा पर भी असर पड़ेगा। इन दोनों अपराधों के लिए सजा इस धारणा पर आधारित है कि याचिकाकर्ता विधि विरूद्घ जमाव का सदस्य था, लेकिन आईपीसी की धारा 148 के तहत आरोप के संबंध में उसे बरी किए जाने से आवश्यक रूप से यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि वह ऐसे जमाव का सदस्य नहीं था। इसलिए, धारा 455 और 323, आई.पी.सी. सपठित धारा 149, आई.पी.सीके तहत उसकी दोषसिद्घि अवश्य ही अपास्त किया जाना चाहिए।

(9) उड़ीसा राज्य के विद्वान स्थायी परामर्शदाता के तर्क में कुछ बल प्रतीत होता है कि प्रारंभिक गलती विचारण करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा भूलवश की गई थी, और उन्होंने सुझाव दिया

कि मामले को विचारण करने वाले मजिस्ट्रेट के पास धारा 148, आई.पी.सी. के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप के संबंध में दोषसिद्धि या बरी करने का उचित आदेश दर्ज किए जाने के लिए भेजा जा सकता है।

लेकिन मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूं कि इस स्तर पर उपरोक्त उद्देश्य के लिए मामले को रिमांड पर किया जाना उचित होगा। घटना चार साल से अधिक समय पहले यानी 6-10-1955 को हुई थी, और याचिकाकर्ता पर्याप्त रूप से परेशान किया गया है क्योंकि अपील की सुनवाई पहली बार अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा की गई थी। लेकिन आपराधिक पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय द्वारा फैसले को अपास्त कर दिया गया और सत्र न्यायाधीश कटक के द्वारा दोबारा अपील की सुनवाई की गई।

इस विलम्बित चरण में पूरी कार्यवाही को पुनर्जीवित करना और याचिकाकर्ता को विचारण करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा दोषसिद्धि के लिए और अधिक उत्पीड़न का सामना करना और संभवतः सत्र न्यायाधीश के समक्ष अपील करना उचित नहीं होगा। गलती कुछ हद तक विचारण करने वाले मजिस्ट्रेट की थी और कुछ हद तक अभियोजन अधिकारियों की थी। बाद वाले को विचारणीय

मजिस्ट्रेट के निर्णय में चूक पर ध्यान देना चाहिए था और फिर गलती को सुधारने के लिए या तो इस न्यायालय में पुनरीक्षण के माध्यम से या बरी किए जाने के खिलाफ अपील के माध्यम से कदम उठाना चाहिए था।

(10) उपरोक्त कारणों से, मैं इस पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर, विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा याचिकाकर्ता पर पारित दोषसिद्धि और सजा को अपास्त कर उसे बरी करता हूं। वह तुरंत प्रभाव से आज़ाद किया जाना चाहिए।"

(13) निष्कर्ष निकालने से पहले हम बता सकते हैं कि राज्य की ओर से दिए गए तर्कों में से एक यह था कि यदि अपीलार्थी को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया जाता है तो कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा। राज्य की ओर से तर्क दिया गया कि यदि कोई विचारणीय न्यायालय के पूरे निर्णय को देखता है तो दिए गए कारणों से यह स्पष्ट होता है कि विचारणीय न्यायालय ने अपीलार्थी को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का दोषी पाया था और अपीलार्थी ने उक्त निष्कर्ष के विरूद्घ कभी कोई शिकायत नहीं की थी। राज्य की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका में भी, अपीलार्थी द्वारा इस विशेष आधार को नहीं लिया गया है। हमें इस तर्क में कोई बल नजर

नहीं आता. यहां अपीलार्थी द्वारा दायर अपील में हम अपीलार्थी को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी नहीं ठहरा सकते। यदि हम ऐसा करते हैं तो यह न्याय के उपहास के समान होगा। हम राज्य द्वारा उस संबंध में बिना कोई अपील दायर किए धारा 302 के तहत अभियुक्त को दोषी नहीं ठहरा सकते। वर्तमान मामले में, राज्य ने धारा 148 के तहत दोषसिद्धि के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील नहीं की गयी और न ही राज्य ने अपील में उच्च न्यायालय के समक्ष सजा परिवर्धन की मांग की।

(14) उपरोक्त कारणों से, हम पाते हैं कि यहां अपीलार्थी को आईपीसी की धारा 148 के तहत दोषी ठहराया गया था; उसे आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी नहीं ठहराया गया था; कि उसे जुर्माने के साथ तीन साल की सज़ा सुनाई गई, इसके अतिरिक्त, जुर्माना न चुकाने पर एक महीने की सज़ा; और राजू उर्फ राज कुमार (यहाँ अपीलार्थी) ने 9.3.2004 से शुरू होकर 8.3.2007 को समाप्त होने वाली तीन साल की सजा काटी है। हमें पता नहीं है कि उसने 200/- रुपये का जुर्माना भर दिया है या नहीं, यदि नहीं, तो उसे तुरंत जुर्माना भरना होगा। जुर्माना अदा करने पर उसे तुरंत प्रभाव से रिहा किया जाना चाहिए। यदि वह 200/- रूपये जुर्माना नहीं चुकाता है तो उसे एक माह की सजा काटनी होगी।

(15) तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है।

डी.जी.

अपील स्वीकार

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी जयश्री लमोरिया (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।